# प्रेस नोट थाना न्यूरिया, जनपद पीलीभीत

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुख्यात अपराधियों  के विरुद्ध अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति के जब्तीकरण के संबंध में चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.03.2023 को थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत पर पंजीकृत मु0अ0स0 475/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में गैंग बनाकर गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को विक्रय कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाला अभियुक्त जाकिर पुत्र साबिर निवासी ग्राम वार्ड नं0 7 गुलडिया भिन्डारा थाना न्यूरिया, जनपद पीलीभीत सक्रिय सदस्य के रूप में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, जिसके द्वारा सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से गौवध निवारण अधिनियम व अन्य आपराधिक कृत्य कर अर्जित धन से ग्राम गुलडिया भिन्डारा थाना न्यूरिया में आवासीय भवन का निर्माण कराया गया। अभियुक्त जाकिर उपरोक्त के विरूद्ध थानाध्यक्ष न्यूरिया के द्वारा अवैध अचल संपत्ति के बारे में जानकारी कर रिपोर्ट अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाकर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के न्यायालय प्रेषित की गई, जिस पर न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के वाद संख्या 384/23 सरकार बनाम जाकिर अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले अभियुक्त जाकिर उपरोक्त के आवासीय भवन जिसकी अनुमानित कीमत करीब 09 लाख 52 हजार 658 रूपये को कुर्क कर जब्त करने के आदेश दिनांकित 20.03.2023 के अनुपालन में श्रीमान उपजिलाधिकारी, तहसील अमरिया, श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर व विवेचक/प्रभारी निरीक्षक थाना जहानाबाद व मुझ थानाध्यक्ष न्यूरिया की उपस्थिति में अभियुक्त जाकिर उपरोक्त के आवासीय भवन को कुर्क कर जब्त किया गया व सभी वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करायी गयी।